36 3 सेवानिवृत्ति के बाद केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) के उच्च स्तरीय एक्जीक्यूटिवों के लिए निजी वाणिज्यिक उपक्रमों में कार्य करने संबंधी प्रतिबंध।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 15 मई 2008 के का.ज्ञा. की सम सं. का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. उपरोक्त में वर्णित का.ज्ञा. दिनांक 15 मई 2008 के पैरा 3 में अन्य बातों के साथ–साथ प्रावधान है कि *"इसके अलावा प्रतिबंधों के अनुसरण को सुनिश्चित करने के लिए सीपीएसई निषेध का किसी प्रकार का उल्लंघन करने पर क्षति के रूप में उसके द्वारा देय उपयुक्त राशि के लिए सीपीएसई के निदेशक के रूप में उसके कार्यभार ग्रहण करने/निवृत्ति/त्याग–पत्र के समय संबंधित व्यक्ति से एक बांड सुनिश्चित करेगा"।*

3. उक्त मामले को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के साथ परामर्श से विचार किया गया है तथा यह मॉडल बांड निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है जिसे आवधिक लाभों को जारी करने से पूर्व सभी सीपीएसइ के पूर्णकालिक क्रियाशील निदेशकों/एमडी/सीएमडी द्वारा निष्पादित किया जाएगा। विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा उचित ढंग से पुनरीक्षित तथा सीवीसी द्वारा अनुमोदित मॉडल बांड की प्रति संलग्न है।

4. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित प्रशासनाधीन सभी सीपीएसई के सभी पूर्णकालिक क्रियाशील निदेशकों/एमडी/सीएमडी द्वारा निष्पादित उपरोक्त मॉडल बांड प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

बांड–व–अंडरटेकिंग (वचन)

(उचित मूल्य के गैर–न्यायिक स्टांप पेपर पर लिया जाए)

<u>आवधिक लाभों को जारी करने से पूर्व नॉन ड्यूज सर्टिफिकेट के साथ संबंधित क्रियाशील निदेशकों/सीएमडी से प्राप्त किया जाए</u>

सभी लोगों को इन प्रेजेंट के द्वारा जानते हैं कि हम .... पुत्र/पुत्री........................... निवासी...... .... वर्तमान में .... में (सीपीएसई का नाम) .... के रूप में कार्यरत हूं और (i) श्री .... पुत्र/पुत्री........................... निवासी................................ (ii) श्री .... पुत्र/पुत्री.......................... निवासी..................................... (iii) श्री .... पुत्र/पुत्री........................ ..निवासी................................ (यहां स्युरीटीज कहा जाएगा) एतद्द्वारा संयुक्त रूप से तथा सेवरली स्वयं को संबंधित उत्तराधिकारियों, एक्जीक्युटरों एवं प्रशासकों को... (सीपीएसई का नाम) को मांग की राशि .... (....................................... रुपए) ऑब्लीगेटर द्वारा उसके कर्यकाल में (सीपीएसई का नाम) के विगत छह महीने के दौरान लिए गए मूल वेतन के बराबर या 10 (दस) लाख मांग की तारीख से सरकारी देर से उसमें ब्याज जोड़कर, जो अधिक हो अदा करने का वचन देता हूँ। यदि यह भुगतान भारत के इतर किसी देश में किया जाता है तो उस देश की मुद्रा में उक्त राशि के समतुल्य राशि

उस देश और भारत के बीच मौजूदा मुद्रा विनिमय दर पर उस देश के बीच सभी लागतों एवं प्रभारों एवं कंपनी द्वारा वहन किए गए हों।

1. और जबकि ऑब्लगर (बाध्यताधारी) नियुक्ति के प्रस्ताव के पत्रांक .... दिनांक ....(सीपीएसई का नाम) में निदेशक/सीएमडी के पद पर नियुक्त किया गया है। उपरोक्त प्रस्ताव की शर्तें उसके द्वारा स्वीकार किए गए थे तथा आब्लागर ने .... को पद संभाला था।

2. और वहीं उपरोक्त नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव के संबंध में यह आवश्यक है कि कंपनी से आभारी की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र की स्थिति में आभारी सरकार की पूर्व अनुमति के बिना वैसे किसी भारतीय अथवा विदेशी फर्म या कंपनी में अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर सलाहकार या प्रशासनिक, कोई नियुक्ति या पद स्वीकार नहीं करेंगे, जिसके साथ कंपनी का व्यापारिक संबंध है, अथवा था।

3. और वहीं उपरोक्त नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव के संबंध में यह भी आवश्यक था कि कंपनी की सेवाओं से उसकी सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र की स्थिति में आभारी के कारण आवधिक लाभ तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक उसके द्वारा सेवानिवृत्ति पश्चात उपरोक्त प्रतिबंध के संबंध में बांड नहीं दिया जाता है।

4. और वहीं कंपनी के बेहतर संरक्षण के लिए आभारी नीचे दिए ऐसी शर्त के साथ इस बांड को निष्पादित करने के लिए सहमत हो।

5. और वहीं उपरोक्त प्रतिभूतियां उक्त आभारी की ओर से प्रतिभूतियों के रूप में इस बांड को निष्पादित करने पर सहमत हो।

6. अब उपरोक्त बाध्यता की शर्त यह है कि आभारी किसी भारतीय अथवा विदेशी फर्म या कंपनी जिसके साथ कंपनी का व्यापारिक संबंध है अथवा था, में अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर सरकार की पूर्व अनुमति के बिना सलाहकार या प्रशासनिक, कोई नियुक्ति या पद स्वीकार करने के कारण संबंधित प्रतिबंध का पालन न करने की स्थिति में आभारी (सीपीएसई का नाम) बांड राशि के समतुल्य रकम का देनदार होगा। यदि वह बांड राशि का समतुल्य रकम अदा नहीं कर पाता है, तो कंपनी उससे यह रकम वसूलने के लिए नागरिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। यह किसी अन्य कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए कंपनी के अधिकारों के बिना पूर्वाग्रह के होगा, मामले की परिस्थिति में जैसा उचित समझा जाए।

   आब्लगर पर श्री......................... तथा, या श्री .... तथा, या श्री...................................... तथा श्री ....ऐसा भुगतान करने में उपरोक्त जमानती और उपरोक्त लिखित बाध्यता निरस्त हो जाएगी और निष्प्रभावी हो जाएगा अन्यथा यह पूर्ण रूप से लागू होगा ।

   बशर्ते कि सदा यहां जमानत का दायित्व प्रदत्त किए जा रहे समय के कारणों अथवा किसी सहनशीलता अधिनियम अथवा कंपनी के ओमिशन होने या इसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति क्या जमानती

की सहमति या संज्ञान के साथ या बिना क्षीण या वहन नहीं होगा न ही कंपनी के लिए जमानतियों श्री .... तथा श्री .... या उनमें से किसी को बकाया राशि के लिए मुकदमा चलाने से पूर्व ऑबलिगर पर मुकदमा के लिए कंपनी के लिए जरूरी होगा।

यह बांड सभी मामलों में उस समय लागू भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा तथा इसके तहत अधिकार एवं दायित्व जहां आवश्यक हो तदनुसार भारत के उपयुक्त न्यायालयों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

इसके गवाह में कंपनी की ओर से विधिवत प्राधिकृत अधिकारी तथा दूसरे पक्ष के रूप में मौजूद दूसरे लोगों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

जमानत के साथ उपरोक्त ऑब्लागर द्वारा हस्ताक्षरित एवं डिलिवर दिनांक .... को किया गया।

ऑब्लागर के हस्ताक्षर

....

1. प्रतिभू के हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :
सम्बन्धित कार्यालय :

__________के समक्ष
कम्पनी के वास्ते और के लिए

2. प्रतिभू के हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :
सम्बन्धित कार्यालय :

इस बांड को स्वीकारी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत और उसी अनुसार निष्पादित किया जाना चाहिए*

स्वीकृत प्राधिकरण के हस्ताक्षर

*सीपीएसईज के निदेशक/प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष को स्वीकार करने के अधिकार निम्नलिखित को होगा ..

निदेशक	संबंधित सीपीएसई के सीएमडी/एमडी
एमडी	संबंधित सीपीएसई के अध्यक्ष
सीएमडी	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव

(डीपीई का. ज्ञा.सं. 2(22)/99–जीएम, दिनांकः 8 अगस्त, 2012)

*****